XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 148–दो/94 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–8–15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह प्रकरण वर्ष 1994 से लंबित है । प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को अनावेदक का सही पता देने के निर्देश दिनांक 16–6–15 को दिये गये थे तथा प्रकरण में दिनांक 24–7–15 नियत की गई थी । किंतु आवेदक की ओर से उक्त आदेश पत्रिका का पालन नहीं किया गया ऐसी स्थिति में यह प्रकरण आदेश का पालन न करने के कारण समाप्त किया जाता है । 2/ उभयपक्ष सूचित हों अभिलेख वापिस हों । सदस्य	

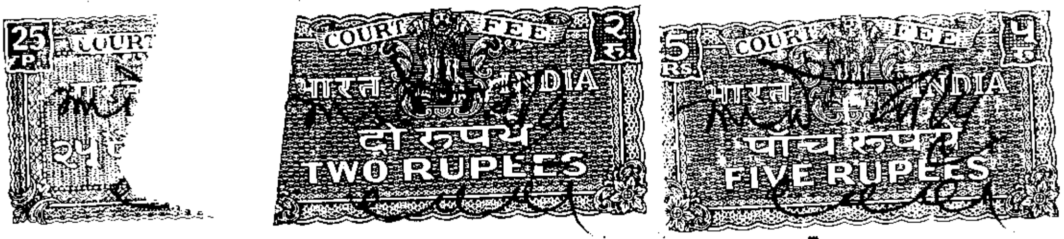

CF Rs. 7=50 60/ 10/9

60-II

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   1991 निगरानी

R148-II/91

महिला विट्ठा पत्नी रामसिंह, निवासी ग्राम अमरी, तहसील व जिला भिण्ड :म०प्र०:
------ प्रार्थिया

विरुद्ध

१- मोती राम पुत्र ओंकाराम ब्राह्मण,
२- रामसिंह पुत्र कुन्दनसिंह,
निवासीगण ग्राम अमरी, तहसील व जिला भिण्ड :म०प्र०:   ----- प्रतिप्रार्थीगण

60-II
श्री [illegible] दीक्षित 10-9-91
10/9/91
[illegible]

निगरानी विरुद्ध निर्णय अपर आयुक्त महोदय चम्बल सम्भाग, दिनांक 30-11-90 धारा 50 लैण्ड रेवेन्यू कोड मध्यप्रदेश। प्र०क्र० 85/77-78 निगरानी ।

K.S. Dixit Advocate 10/9/91

श्रीमान्,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

:१: यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय कानूनन सही नहीं है ।

:२: यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा ।

:3: यह कि, जब प्रारम्भिक न्यायालय में प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में स्वत्व का आधार एवम् आवश्यक तत्व का अंकन नहीं किया गया है, तब ऐसी स्थिति में दावा चलने योग्य न होने से निरस्ती योग्य है ।

:४: यह कि, बिना किसी आधार के प्रकरण में जांच एवम् साक्ष्य